न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2024 / 497 दर्ज तिथिः—24.10.2024

1. नानगा पुत्र गंगा
   जाति जाट निवासी लक्ष्मणपुरा, बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी
2. तेजा पुत्र गंगा
   जाति जाट निवासी लक्ष्मणपुरा, बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री मानाराम विश्नोई
अप्रार्थीः—श्री रामजीवन विश्नोई

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—03.07.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः—
   - खातेदारी आराजी खसरा संख्या 269 / 262 / 0.2023 है0 मौजा डुंगराणी सियागों की ढाणी पटवार हल्का बांटा तहसील गुडामालानी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 की संयुक्त खातेदारी आराजी है।
   - कि उक्त आराजी मूल खसरा संख्या 262 से विभक्त होकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में संधारित है। मूल खसरा संख्या 262 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 की सयुंक्त आराजी की भूमि थी। उक्त मूल खसरा संख्या 262 के सहमति से विभाजन कर खसरा संख्या 269 / 262 का संयुक्त रास्ता दर्ज किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:30:26 IST
Reason: SelfAttested

गया। उक्त संयुक्त रास्ता खसरा संख्या 266/262 एवं 267/262 के मध्य कलमी भूल से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया। जबकि उक्त रास्ता मौके पर खसरा संख्या 266/262 एवं 267/262 के उत्तर दिशा में से चलते हुए आगे अप्रार्थी संख्या 02 के खसरा संख्या 265/262 की ओर चल रहा है। परंतु उक्त रास्ते के खसरा संख्या 269/262 की तरमीम मौके पर खसरा संख्या 266/262 एवं 267/262 के मध्य से होने से मौके व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई।

2. असल में उक्त रास्ते की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अंत में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 269/262 की तरमीम मौके पर चलित रास्ते के अनुसार लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन भू—नक्शा में तरमीम दुरूस्त की जाकर प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जरिये असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय होकर निम्न प्रकार निवेदन किया गयाः—

- कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा एक समर्पण पत्र दिनांक 21.02.2022 को तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त समर्पण पत्र तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 269/262 रकबा 0.2023 है0 को राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित किये जाने से हस्तगत प्रकरण में आराजी खसरा संख्या 269/262 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी आराजी नहीं होकर राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित गै0मु0 रास्ता की आराजी है।
- कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा समर्पित रास्ता वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकित तरमीम के अनुसार ही मौके पर चल रहा है। प्रार्थी द्वारा समर्पितशुदा आराजी का स्थान परिवर्तन करवाने के दुराशय से हस्तगत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष उपस्थित होकर उक्त आराजी का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में करवाया गया था एवं उक्त समर्पितशुदा आराजी का नामांतकरण संख्या 02 दिनांक 03.04.2024 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया था। तत्पश्चात् उक्त आराजी पर हाजा न्यायालय के स्थगन आदेश का जिक्र करते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा उक्त नामांतकरण का पुनर्वालोकन करते हुए नामांतकरण संख्या 02 खारिज किया गया। जबकि हाजा न्यायालय द्वारा केवल मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये थे। जो अप्रार्थी संख्या 02 के वादपत्र में किये गये अभिवचन कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर निर्माण कार्य किया जाकर मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है, पर केवल मौके का स्थगन पारित किया गया था।
- कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा सहमति से विभाजन प्रस्तुत करते हुए आवेदन वर्णित आराजी पक्षकारान के रास्ते हेतु सामलाती रखी थी। तत्पश्चात् उक्त रास्ते की सामलाती भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित किया गया था। साथ ही उक्त समर्पणशुदा आराजी के संबंध में तरमीम दुरूस्ती का आवेदन चलने योग्य नहीं है। उक्त समर्पण आदेश की अपील को सुनने का

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:30:26 IST
Reason: SelfAttested

क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय जिला कलक्टर को होने से उक्त आवेदन हाजा न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नहीं होने के कारण काबिल—ए—खारिज है।

- कि सरकारी चलायमान रास्ते की तरमीम दुरूस्त करने का प्रावधान राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अंतर्गत नहीं है। साथ ही प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के समस्त पदों में उक्त आराजी को खातेदारी आराजी होने का कथन किया है। जबकि उक्त आराजी सरकारी गै0मु0 रास्ते की आराजी है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा सरकार के विरूद्ध उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है। जबकि राज्य सरकार तहसीलदार गुड़ामालानी को सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—80 के तहत नोटिस नहीं दिया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जिससे प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र काबिल—ए—खारिज है।

4. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का उक्त आवेदन पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

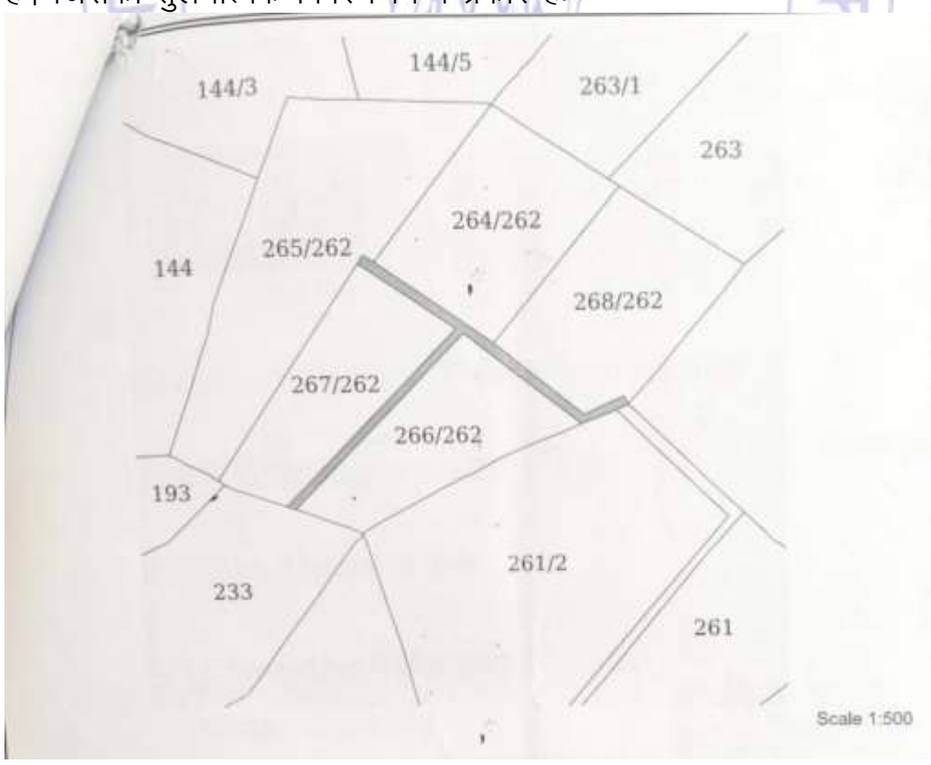

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:30:26 IST
Reason: SelfAttested

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक/भू.अ./2025/678 दिनांक 28.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/678 दिनांक 28.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

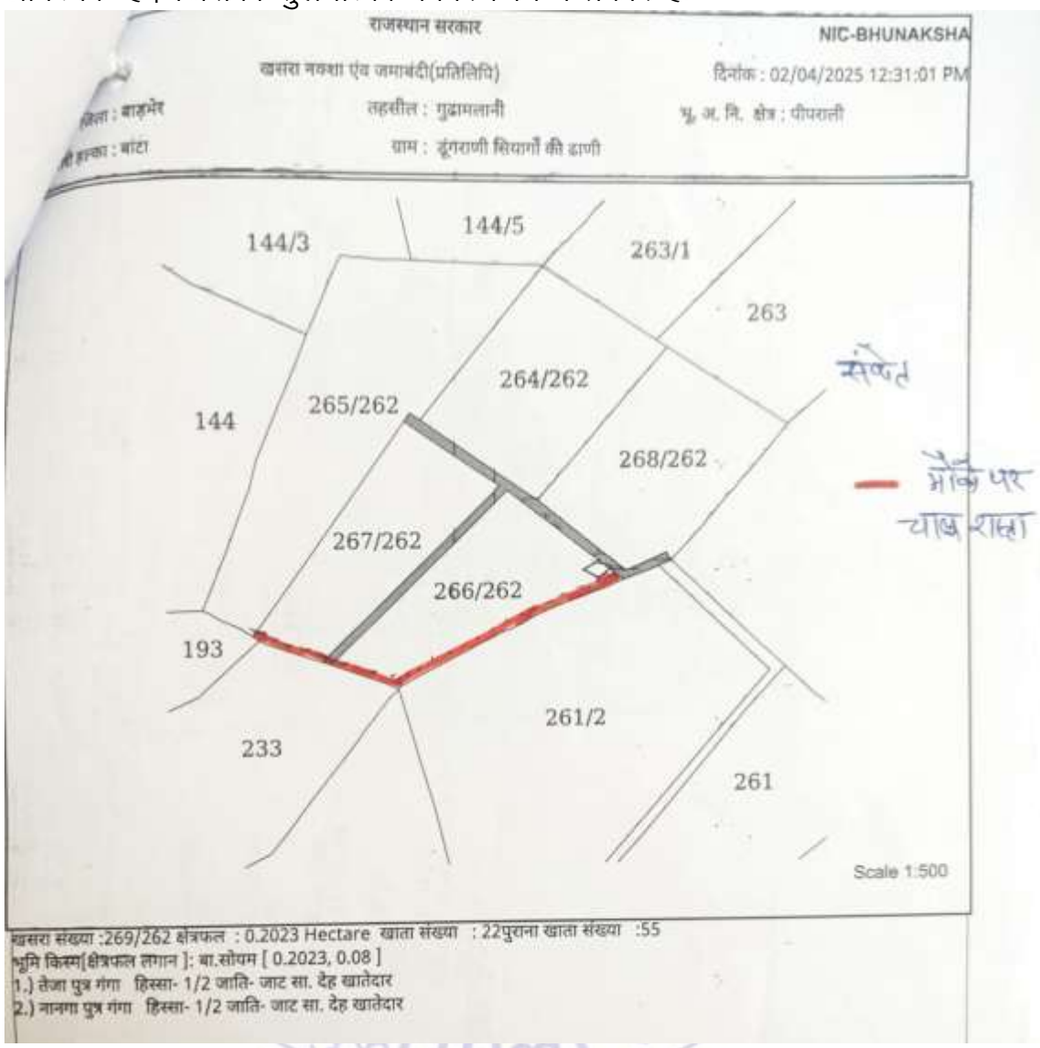

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/678 दिनांक 28.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—
    1. कि प्राथी एवं अप्रार्थी की आराजी का विभाजन प्रस्ताव अनुसार ही राजस्व नक्शा में अंकन किया गया है।
    2. कि प्रार्थी तथा अप्रार्थी के मूल खसरे के विभाजन प्रस्ताव में रास्ते हेतु रखी भूमि को छोड़कर अन्यत्र मौके पर रास्ता चलायमान है। जो कि संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।
    3. कि मौके पर खसरा संख्या 266/262, 267/262 के मध्य रास्ता चालू न होकर खेतों की मेड़ पर रास्ता सुचारू है। जो कि संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:30:26 IST
Reason: SelfAttested

4. कि खसरा संख्या 266/262 व 267/262 के मध्य सेढा पर नहीं होकर मूल खसरे के मेड़ पर रास्ता चालू है। जो कि खसरा संख्या 266/262 व 267/262 में से गुजरता है।
5. कि वर्तमान राजस्व नक्शा में विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंकन किया गया है। जबकि रास्ता अन्यत्र सुचारू है। जिसकी तरमीम दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/678 दिनांक 28.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा का तुलनात्मक अवलोकन किया गया। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 की उक्त आराजी के मूल खसरा संख्या 262 का सहमति से विभाजन होकर वर्तमान खसरा एवं तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में संधारित की गई है। साथ ही तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 की आराजी की वर्तमान तरमीम का सहमति विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया है। साथ ही हाल राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल खसरा संख्या 262 के सहमति से विभाजन से हाल खसरा संख्या 264/262, 268/262, 267/262 एवं 266/262 राजस्व रिकॉर्ड में संधारित हैं। उक्त सहमति से विभाजन के अनुसार ही पक्षकारान वर्तमान में काबिज काश्त हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की तरमीम दुरूस्त किये जाने से खसरा संख्या 264/262 के खातेदार का रास्ते से वंचित होना स्पष्ट है। इस प्रकार सहमति से विभाजन से संधारित हाल राजस्व रिकॉर्ड की तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 03.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:30:26 IST
Reason: SelfAttested